

पत्रांक: एम-1-10/2015-

5928

पटना, दिनांक 2 अक्टूबर, 2015 ई०।

प्रेषक

नील कमल,
संयुक्त सचिव।

सेवा में

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

विषय:- बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 - चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान लोकहित में विशेष अवसरों पर अस्थायी परमिट के निर्गमन की अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक 4/STA-P3-154/2014 परि० 4858 दिनांक 30.09.2015.

महाशय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि इस कार्यालय के पत्रांक एम-1-10/2015-5305 दिनांक 23.09.2015 द्वारा National Permit, Tourist Permit एवं अन्य परमिट हेतु अनापत्ति संसूचित की जा चुकी है। उक्त क्रम में प्रश्नगत मामले (अस्थायी परमिट) पर भी अनापत्ति संसूचित की जाती है।

विश्वसभाजन,

(नील कमल)

संयुक्त सचिव।

बिहार सरकार,
परिवहन विभाग

ज्ञापक- 04/एस0टी0ए0-पी3-154/2014 4936 / पटना, दिनांक- 06/10/2015

प्रतिलिपि: संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना, गया, सारण, मुजफ्फरपुर,

दरभंगा, सहरसा, पूर्णियाँ, भागलपुर एवं मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. परिवहन विभाग (मुख्यालय) में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों/ प्रशाखा पदा० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. आई०टी० मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

"मजबूत लोकतंत्र-सबकी भागीदारी"